उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–27/2020–21

महेन्द्र यादव उर्फ महेश यादव

बनाम्

श्याम यादव

–: आदेश :–

दिनांक

17/04/~

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता महेन्द्र यादव उर्फ महेश यादव, पे0–मेबू यादव, सा0–फूलबड़िया (विसेन्दाचक), थाना–बसंतराय, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–46/2016–17 में पारित आदेश दिनांक–24.01.2020 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–46/2016–17 आदेश दिनांक–24.01.2020 के द्वारा मौजा–रनशी नं0–20 जमाबंदी सं0–37 दाग नं0–344, 246, 350 एवं 353 रकवा 01–03–19 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 और 42 के तहत उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–रनशी नं0–20 जमाबंदी सं0–37 रकवा 01–03–19 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में नथन गोप वल्द मोची गोप के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत नथन गोप का वंशावली निम्न प्रकार है :–

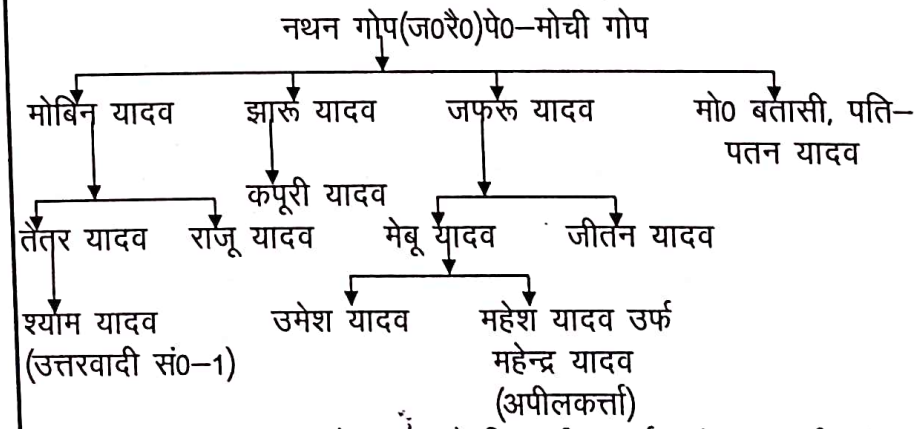

उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी सं0–01 नथन गोप के वंशज है। इसलिए संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने का सवाल

ही उठता है। सही तथ्यों की जानकारी हेतु निम्न न्यायालय को अंचल अधिकारी, बसंतराय से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करना चाहिए। लेकिन निम्न न्यायालय ने जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना ही अपील वाद जमीन से अपीलकर्त्ता को संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से अपील के काल अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत विलम्ब का कारण दर्शाते हुए आवेदन दाखिल किया है। अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–रनशी जमाबंदी सं0–37 दाग नं0–344, 246, 350, 353 रकवा 01–03–19 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में नथन गोप के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत नथन गोप का वंशावली निम्न प्रकार है :–

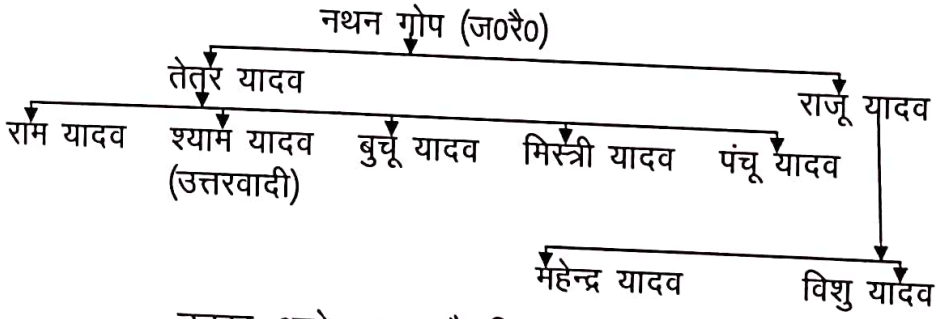

उनका आगे कथन है कि वर्तमान अपील वाद में अंचल अधिकारी, बसंतराय के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त जाँच प्रतिवेदन में दिये गये वंशावली से स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत नथन गोप के पोता है। उक्त जाँच प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा नथन गोप से संबंध होने का कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता का उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत नथन गोप से कोई संबंध नहीं है। उनका आगे कथन है कि वर्तमान अपीलकर्त्ता के भाई उमेश यादव को भी निम्न न्यायालय के द्वारा उच्छेद किया गया था। लेकिन उमेश यादव के द्वारा अपील वाद दायर नहीं किया गया है। अपील वादगत जमीन पर अपीलकर्त्ता का संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के विपरीत अवैध

कब्जा था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने नियम संगत तरीका से अपील वादगत जमीन से उच्छेद किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को वरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, वसंतराय के पत्रांक–545/रा0 दिनांक–23.10.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि महेश यादव, पिता–स्व0 मेघु यादव, ग्राम–विष्णुदासचक का निवासी है, जो मौजा–रनशी खाता नं0–37 जमाबंदी रैयत नथन गोप के वंशज में नहीं आता है और न ही इनका कोई उर्फ नाम महेन्द्र यादव है। अंचल अधिकारी, वसंतराय के द्वारा जमाबंदी रैयत नथन गोप का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

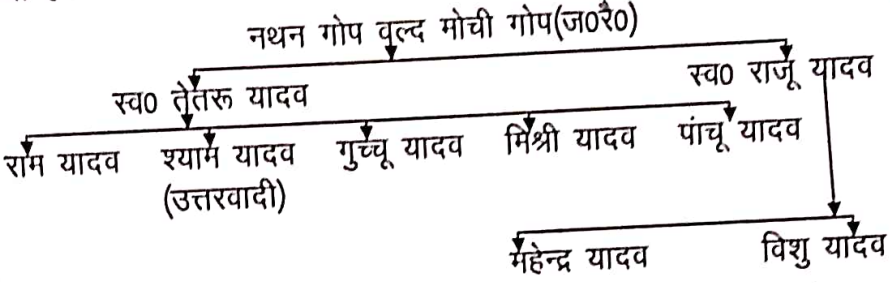

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के वहस सुनने एवं अभिलेखवद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–रनशी नं0–20 जमाबंदी सं0–37 रकवा 01–03–19 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में नथन गोप वल्द मोची गोप के नाम से दर्ज है। निम्न न्यायालय के द्वारा उक्त जमाबंदी की जमीन से अपीलकर्त्ता एवं उमेश यादव को उच्छेद किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील वाद दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता का दावा है कि अपीलकर्त्ता उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत के वंशज है। लेकिन अपने दावा के समर्थन में अपीलकर्त्ता की ओर से उक्त जमाबंदी रैयत से संबंध होने का कोई साक्ष्य जनित कागजात दाखिल नहीं किया है। अंचल अधिकारी, वसंतराय के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत नथन गोप के वंशज में नहीं आता है और न ही इनका कोई उर्फ नाम महेन्द्र यादव है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–46/2016–17 में दिनांक–24.01.2020 के

आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है। अभिलेख जिला अभिलेखागार, गोड्डा में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

13/04/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

13/04/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

5/09/-22
18.04.22

28/4/22

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:18:46 +05:30
Location: 192.168.29.8